

वचन पत्र

यह प्रमाणित किया / वचन दिया जाता है कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग 343 के अम्बिकापुर-रामानुगंज-गरवा मोटर मार्ग पर अधिग्रहण किये जा रहे राजस्व वनभूमि (छोटे-बड़े झाड़ के वन) की अनापत्ति प्रमाण पत्र वन भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कर दिया जावेगा ।


08/12/2024
कार्यपालन अभियंता

लो०नि०वि०रा०रा० संभाग अम्बिकापुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ0ग0)

Email ID :- ph43exen@rediffmail.com.

ज्ञापन क्र. 2071/शिल्प/2021-22

अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2021

प्रति,

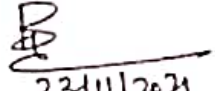
कलेक्टर,
सरगुजा (छ ग.)

- विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज मार्ग पर 2 लेन पेव्डड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में वनभूमि व्यपवर्तन के पंजीकरण के अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।
- संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख छत्तीसगढ़ (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-भू-प्रबंधक) द्वारा दिनांक 15.11.2021 में उल्लेखित आपत्ति के संबंध में। (सरगुजा जिले के अंतर्गत वन व्यपवर्तन हेतु क्षेत्रफल 11.972 हे.) प्रकरण क्र. FP/CG/ROAD/147299/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.343 अम्बिकापुर से रामानुजगंज मार्ग (लम्बाई 110.00 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। इस बाबत प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र के क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इस हेतु खसरा क्रमांक सहित उनका उल्लेखित क्षेत्रफल का प्रपत्र संलग्न है, जो पटवारी द्वारा पूर्व में ही सत्यापित किया जा चुका है।

अतः सादर अनुरोध है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें।

सहपत्र :- राजस्व वन क्षेत्र का प्रपत्र।


23/11/2021
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग-अम्बिकापुर

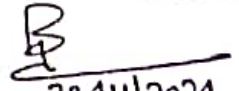
पृष्ठांकन क्र. 2072/शिल्प/2021-22

अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रा.रा. परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी एन.एच. कैम्पस पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर को इस कार्यालय के पत्र क्र. 1185/TS/2019, दिनांक 12.06.2019 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

सहपत्र :- निस्कन उपरोक्तानुसार


23/11/2021
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग-अम्बिकापुर

ok



कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ0ग0)

Email ID :- nh43exen@rediffmail.com,

ज्ञापन क्र. 20.6.9.../शिल्प/2021-22

अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2021

प्रति,

कलेक्टर,
बलरामपुर (छ.ग.)

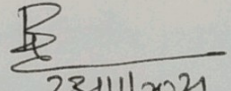
विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज मार्ग पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में वनभूमि व्यपवर्तन के पंजीकरण के अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख छत्तीसगढ़ (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-भू-प्रबंधक) द्वारा दिनांक 15.11.2021 में उल्लेखित आपत्ति के संबंध में।
(सरगुजा जिले के अंतर्गत वन व्यपवर्तन हेतु क्षेत्रफल 11.972 हे.)
प्रकरण क्र. FP/CG/ROAD/147299/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.343 अम्बिकापुर से रामानुजगंज मार्ग (लम्बाई 110.00 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। इस बाबत प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र के क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इस हेतु खसरा क्रमांक सहित उनका उल्लेखित क्षेत्रफल का प्रपत्र संलग्न है, जो पटवारी द्वारा पूर्व में ही सत्यापित किया जा चुका है।

अतः सादर अनुरोध है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें।

सहपत्र :- राजस्व वन क्षेत्र का प्रपत्र।


23/11/2021
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग-अम्बिकापुर

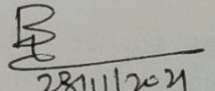
पृष्ठांकन क्र. 2070.../शिल्प/2021-22

अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रा.रा. परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी एन.एच. कैम्पस पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजपुर/बलरामपुर/रामानुजगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


23/11/2021
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग-अम्बिकापुर

